

न्यायालय :- ठाकुर प्रसाद मालवीय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला खण्डवा (म.प्र.)

क्रमांक/क्ष./प्र.फौ./475(1)/2026

खण्डवा, दिनांक-

17.09.2026

-:: आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक (द्वितीय संशोधन)::-

मैं, ठाकुर प्रसाद मालवीय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा, (म.प्र.) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 14(1) एवं 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, न्यायिक जिला स्थापना, खण्डवा पर आवश्यकता की दृष्टि से आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक में निम्नानुसार संशोधन करता हूँ, जो कि माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, खण्डवा के अनुमोदन पश्चात तत्काल **प्रभावशील** माना जावेगा।

1. कार्य विभाजन पत्रक आदेश क्रमांक/क्ष./प्र.फौ./186/2026 खण्डवा, दिनांक-22.04.2026 के पृष्ठ क्रं. 8 के सरल क्रं. 7 पर वर्णित न्यायाधीश (श्रीमती रचना अतुलकर जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी) **(स्थानांतरण/पदोन्नति होने के फलस्वरूप)** के कार्य का विवरण/कॉलम नंबर 7 को विलोपित करते हुए उक्त कार्य का विवरण पृष्ठ क्रं. 4 के सरल क्रं. 2 पर वर्णित न्यायाधीश **(श्री अरविंद सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी)** के कार्य के विवरण में तथा श्री अरविंद सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खण्डवा के कार्य के विवरण के क्रं. 2, 3, 4 एवं 5 को विलोपित करते हुए उसे पृष्ठ क्रं. 9 के सरल क्रं. 9 पर वर्णित न्यायाधीश श्री भरतदीप चौरसिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के कार्य के विवरण में निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है-

स. क्रं.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदनाम	क्षेत्राधिकार	कार्य का विवरण
1	2	3	4
2.	श्री अरविंद सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा	2- आरक्षी केंद्र मोघट रोड़ की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण एवं उनसे संबंधित आनुषांगिक कार्यवाहियां (मोटरयान अधिनियम के ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनमें अर्थदण्ड राशि 50,000/-रूपये से अधिक हो को छोड़कर तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खण्डवा एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) समस्त परिवाद एवं विविध कार्यवाहियां। 3. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के आपराधिक परिवाद, धारा 175 (3) भा.ना.सु.सं.

Thakur Prasad Malviya

Chief Judicial Magistrate

Khandwa (M.P.)

			/धारा 156(3) द.प्र.सं. के आवेदन पत्र एवं धारा-138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों का संज्ञान एवं विचारण 4. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला खण्डवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण। 5. आरक्षी केंद्र मोघट रोड़ से उद्भूत धारा 52(क) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर कार्यवाही।
9.	श्री भरतदीप चौरसिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	जिला पूर्व निमाड़ खंडवा	1- आरक्षी केंद्र छैगांवमाखन की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण एवं उनसे संबंधित आनुषांगिक कार्यवाहियां (मोटरयान अधिनियम के ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनमें अर्थदण्ड राशि 50,000/-रूपये से अधिक हो को छोड़कर तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खंडवा एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) समस्त परिवाद एवं कार्यवाहियां। 2. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के आपराधिक परिवाद, धारा 175 (3) भा.ना.सु.सं. /धारा 156(3) द.प्र.सं. के आवेदन पत्र एवं धारा-138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों का संज्ञान एवं विचारण 3. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला खण्डवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण। 4. आरक्षी केंद्र छैगांवमाखन से उद्भूत धारा 52(क) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर कार्यवाही।

2. कार्य विभाजन पत्रक आदेश क्रमांक/क्ष./प्र.फौ./186/2026 खण्डवा, दिनांक-22.04.2026 के पृष्ठ क्रं. 9 के सरल क्रं. 9 पर वर्णित न्यायाधीश (श्री भरतदीप चौरसिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी) के कार्य का विवरण को विलोपित करते हुए उक्त कार्य का विवरण पृष्ठ

Thakur Prasad Malviya
 Chief Judicial Magistrate
 Khandwa (M.P.)

कं. 10 के सरल कं. 10 पर वर्णित न्यायाधीश (सुश्री अपेक्षा पाटीदार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी) के कार्य के विवरण में कड़िका 4, 5 एवं 6 के रूप में निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है—

स. कं.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदनाम	क्षेत्राधिकार	कार्य का विवरण
1	2	3	4
10.	सुश्री अपेक्षा पाटीदार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खंडवा	जिला पूर्व निमाड़ खंडवा	4— आरक्षी केंद्र जावर की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण एवं उनसे संबंधित आनुषांगिक कार्यवाहियां (मोटरयान अधिनियम के ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनमें अर्थदण्ड राशि 50,000/-रूपये से अधिक हो को छोड़कर तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खंडवा एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) समस्त परिवाद एवं कार्यवाहियां। 5— आरक्षी केन्द्र जावर के क्षेत्राधिकार के परिवाद, धारा 175(3) भा.ना.सु.सं./धारा 156 (3) द.प्र.सं. के आवेदन पत्र एवं धारा-138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों का संज्ञान एवं विचारण। 6— आरक्षी केंद्र जावर से उद्भूत 52 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर कार्यवाही।

3. कार्य विभाजन पत्रक आदेश क्रमांक/क्ष./प्र.फौ./297/2026 खण्डवा, दिनांक-19.06.2026 की अनुसूची कं. 2 को विलोपित करते हुए नवीन अनुसूची कं. 02 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है—

—::अनुसूची क्रमांक "2"::—

//धारा 183 भा.ना.सु.सं/164 दं.प्र.सं. के कथन हेतु प्रभार//

1. महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित भा.न्या.सं. 2023 की धारा 88, 89, 90, 91, 74,75 ,76, 77,78 ,87, 96, 141, 63 ,64, 65 (ए), 65 (2), 67,,68,70 (1),84, 85 एवं 79 (भा.दं.सं. की धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354—क, 366, 366—बी, 366—ए 376—ए से

Thakur Prasad Malviya
Chief Judicial Magistrate
Khandwa (M.P.)

376-डी, 493, 498, 468-ए एवं 509) अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम, सन् 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिश्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती निवारण अधिनियम 1957, बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट), धारा 363 भादवि/धारा 137 (2) भा.न्या.सं. में यदि पीड़ित महिला/बालिका है एवं अपराध जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं उनमें धारा 183 भा.ना.सु.सं./164 द.प्र.सं. के कथन अंकित किए जाने हेतु निम्नांकित महिला न्यायिक मजिस्ट्रेटगण को प्रशासनिक कार्य एवं सुविधा की दृष्टि से, दर्शित आरक्षी केंद्र के अनुसार कथन लिए जाने हेतु कार्यभार सौंपा जाता है:-

कं.	आरक्षी केंद्र	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
1.	कोतवाली, मोघट, पिपलौद, अजाक एवं जी.आर.पी.	श्रीमती पल्लवी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्रीमती ज्योति सिंह टेकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	सुश्री अपेक्षा पाटीदार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
2.	मूंदी, नर्मदानगर, मांधाता एवं जावर	श्रीमती ज्योति सिंह टेकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्रीमती पल्लवी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	सुश्री नेहा प्रजापति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
3.	महिला थाना, पंधाना, धनगांव, पदमनगर एवं छैगांवमाखन	सुश्री अपेक्षा पाटीदार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्रीमती पल्लवी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्रीमती ज्योति सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

नोट- उक्त न्यायिक अधिकारी जो कि धारा 183 भा.ना.सु.सं./164 दं.प्र.सं. के कथन हेतु अधिकृत हैं, वे यदि मुख्यालय से बाहर हैं/प्रशिक्षण पर हैं/अवकाश/न्यायालय रिक्त है या अन्य किसी कारणवश से कथन लेने में असमर्थ हैं तो उनकी अनुपस्थिति में कथन अनुसूची-कं. 02 के अनुसार अगले सरल कं. पर वर्णित/उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंकित किए जावेंगे।

4. कार्य विभाजन पत्रक आदेश क्रमांक/क्ष./प्र.फौ./297/2026 खण्डवा, दिनांक-19.06.2026 की अनुसूची कं. 3 के (धारा 183 भा.ना.सु.सं./167 दं.प्र.सं. के कथन के प्रभार) सरल कं. 2 और 5 के चतुर्थ प्रभार से श्रीमती रचना अतुलकर जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का नाम विलोपित किया जाता है।



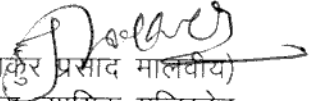
अनुमोदित।

19/9/26

(ठाकुर प्रसाद मालवीय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
खण्डवा (म.प्र.)

प्रतिलिपि-

- 1- कार्यालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय खंडवा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- माननीय विशेष न्यायालय, प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ जिला न्यायाधीश महोदय, खंडवा एवं हरसूद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर सूचनार्थ।
- 4- कार्यालय कलेक्टर, जिला खंडवा की ओर प्रेषित।
- 5- पुलिस अधीक्षक, जिला खंडवा (म.प्र.) की ओर समस्त थाना प्रभारियों को सूचित करने हेतु प्रेषित।
- 6- समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खंडवा/पुनासा/हरसूद/शृंखला न्यायालय मांघाता जिला खण्डवा सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- श्री सिद्धार्थ कुमार न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी (प्रशिक्षु न्यायाधीश) हरसूद, जिला खंडवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 8- वन मंडलाधिकारी, वन विभाग खंडवा म.प्र. को सूचनार्थ प्रेषित।
- 9- जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी कार्यालय, खंडवा म.प्र.।
- 10- उप संचालक (अभियोजन), कार्यालय जिला अभियोजन खंडवा को सूचनार्थ।
- 11- अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, खंडवा को सूचनार्थ।
- 12- प्रस्तुतकार, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, खंडवा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 13- जे.एस.ए. जिला न्यायालय, खण्डवा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित की उक्त आदेश की प्रति संबंधित को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करे।


(डा. कुर प्रसाद मालवीय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला खंडवा (म.प्र.)